प्रेस नोट - थाना सदर बाजार

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 04.08.2026

थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब/शस्त्र विक्रय तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 30.07.2026 को वादिनी द्वारा थाना सदर बाजार पर दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 395/26 धारा 64(1)/351(3) बीएनएस बावत अभियुक्त रजत गुप्ता पुत्र गुड्डू गुप्ता द्वारा वादिनी को प्रलोभन देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना व वादिनी के परिवार व बच्चों को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 64(1) बीएनएस का लोप करते हुये धारा 64(2m) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 04.08.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रजत कुमार गुप्ता उर्फ कुक्कू पुत्र राजेश कुमार गुप्ता, उम्र करीब 28 वर्ष, नि0 मकान नं0 34 मो0 कच्चा कटरा, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर को मुखबिर खास की सूचना पर मो0 शास्त्रीनगर मोड से समय करीब 06.25 बजे 01 अदद रियलमी मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

रजत कुमार गुप्ता उर्फ कुक्कू पुत्र राजेश कुमार गुप्ता, उम्र करीब 28 वर्ष, नि0 मकान नं0 34 मो0 कच्चा कटरा, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 395/2026 धारा 64(2)(m)/351(3) बीएनएस, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 04.08.2026 को समय करीब 06.25 बजे, मो0 शास्त्रीनगर मोड के पास से।

बरामदगी का विवरण

01 अदद रियलमी मोबाइल

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव
उ0नि0 श्री ललित शर्मा
रि0म0का0 स्वाति
रि0का0 मोनू सैनी